फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी : श्री तुलसीराम

किस्म मुकदमा : वाद

विपक्षी : श्री मन्नालाल उर्फ पन्नालाल वगैरह

प्रकरण संख्या : 44/2021 सन् 2021

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएँ जारी की गई
	दिनांक : 29.04.2026 पत्रावली पेश हुई। वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रकरण लम्बे समय से साक्ष्यवादी में दिनांक 16.07.2024 से नियत है। वादी अधिवक्ता को साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु 10 से ज्यादा अवसर दिए जाने के बावजूद भी प्रस्तुत नहीं किए गए है। न्यायालय द्वारा रूक रूककर वादी को तीन बार आवाजें लगवाई गई, बावजूद इसके न्यायालय समय समाप्ति तक कोई उपस्थित नहीं हुआ। जिससे जाहिर है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं है तथा वाद में आगे कार्यवाही नहीं चाहता है। अतः वादी का वाद आदेश 9 नियम 8 जा. दी. के तहत अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। निर्णय सरेइजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। (अवुला साईकृष्ण) आई.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी गिर्वा उदयपुर	